

98-26
6.1.14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(Civil Writ Jurisdiction)
C.W.J.C. No..... of 2014

Pramendra KumarPetitioner

Versus

The State of Bihar & othersRespondents

Sub.: Arms Act

INDEX

<u>Sl.No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Page No.</u>
1.	Synopsis of the case.	i to ii
2.	Writ petition with affidavit.	1 to 12
3.	Annexure-1: A photo stat copy of Doctor's prescription dt. 29.11.07.	13
4.	Annexure-2: A photo stat copy of application dt. 14.12.09.	14 to 16
5.	Annexure-3: A photo stat copy of Memo No. 117 dt. 01.07.10.	17
6.	Annexure-4: A photo stat copy of enquiry report dt. 20.08.11.	18 to 20
7.	Annexure-5: A photo stat copy of letter dt. 31.01.12.	21
8.	Annexure-6: A photo stat copy of letter dt. 01.03.12.	22
9.	Annexure-7: A photo stat copy of affidavit dated 20.03.12.	23
10.	Annexure-8: A photo stat copy of report dated 29.03.12.	24
11.	Annexure-9: A photo stat copy of letter dated 09.04.12.	25
12.	Annexure-10: A photo stat copy of letter dated 31.01.13.	26
13.	Annexure-11: A photo stat copy of letter dated 02.07.13.	27
14.	Annexure-12: A photo stat copy of letter dated 08.07.13.	28 to 30
15.	VAKALATNAMA.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No...../2014

Pramendra Kumar.....Petitioner

Versus

State of Bihar & othersRespondents

SYNOPSIS

Relief: For issue an arms licence of D.B.B.L. Gun for which the petitioner has applied on 14.12.09 before District Magistrate, Madhepura.

Relevant Dates with Facts:

- 23.09.82: Arms Licence of D.B.B.L. Gun was issued in favour of petitioner's father.
- 14.11.07: Pacemaker implantation was done to petitioner's father.
- 29.11.07 (Annex 1): Doctor has given certificate.
- 14.12.09 (Annex 2): Petitioner applied for Arms Licence of D.B.B.L. Gun.
- 06.04.10: D.M. sent a letter to S.P. for making enquiry.
- 01.07.10 (Annex 3): S.P. directed the S.H.O. Fulaut O.P. to submit report.

(ii)

- 20.08.11 (Annex 4): S.H.O. Fulaut O.P. submit a report.
- 31.01.12 (Annex 5): Petitioner's father sent a letter to D.M.
- 01.03.12 (Annex 6): S.P. sent a letter to S.H.O. Fulaut O.P.
- 20.03.12 (Annex 7): Petitioner sworn an affidavit.
- 29.03.12 (Annex 8): S.D.P.O. submitted a report before S.D.O.
- 09.04.12 (Annex 9): S.D.O. sent a letter to S.P.
- 31.01.13 (Annex 10): District Arms Magistrate sent a letter to
Public Information Officer.
- 02.07.13 (Annex 11): District Arms Magistrate make explanation
to the petitioner.
- 08.07.13 (Annex 12): Petitioner submitted his explanation.

Hence, the present writ.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No..... of 2014

In the matter of an
application under Article
226 of the constitution of
India

AND

In the matter of
Pramendra Kumar, Son of- Shri Arun Kumar Singh, Resident
of Village- Fulaut, P.S.- Chausa, district- Madhepura.

.....Petitioner

Versus

- (1) The State of Bihar.
- (2) The District Magistrate, Madhepura.
- (3) The Superintendent of Police, Madhepura.
- (4) The District Arms Magistrate, Madhepura.
- (5) The Sub-divisional Officer, Udakishunganj, district-
Madhepura.

(2)

- (6) The Sub-divisional Police Officer, Udakishunganj, district-Madhepura.
- (7) The Inspector of Police, Udakishunganj, District-Madhepura.
- (8) The S.H.O. of Fulaut Out Post within Chousa Police Station, district- Madhepura.

..... Respondents

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the Hon'ble High Court of Judicature at Patna and Her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner abovenamed.

Most Respectfully sheweth :

- 1) That the present writ petition is being filed for issuance of an appropriate writ/writs, order/ orders and/or direction/directions for the following relief.
 - (i) For issuance of an appropriate writ, commanding/ directing the respondents to issue an Arms Licence

(3)

(D.B.B.L. Gun) for which the petitioner has applied on 14.12.09 before District Magistrate, Madhepura.

(ii) Any other relief/ reliefs for which the petitioner is entitled under law as well as on facts.

- (2) That the petitioner is a citizen of India. He is residing in the district of Madhepura which falls within the territorial jurisdiction of the state of Bihar.
- (3) That it is stated that on 23.09.1982 an Arms Licence of D.B.B.L. gun being Arms licence no. 004/82 (Chausa P.S.) had been issued in favour of the petitioner's father, namely, Arun Kumar Singh and accordingly a D.B.B.L. gun no. AB8200114 has been possessed by him.
- (4) That it may also be relevant to state here that petitioner's father, namely, Arun Kumar Singh is suffering from heart disease since 1996. A permanent pacemaker implantation VVI was done on 27.12.96. Upgradation of VVI to DDDR was done on 14.11.07 by Dr. Vijay Trehan, Professor of Cardiology, G.B. Pant Hospital, New Delhi-2.

(4)

A photo stat copy of doctor's prescription dated 29.11.07 is attached here with and marked as Annexure-1 to this writ petition.

- (5) That due to old age and heart disease of his father, the petitioner applied for an Arms Licence of D.B.B.L gun in **Form-"A"** before the District Magistrate Madhepura on 14.12.09.

A photo stat copy of application dated 14.12.09 is attached herewith and marked as Annexure-2 to this writ petition.

- (6) That vide letter no. 152/ law dated 06.04.10 the District Magistrate Madhepura sent a letter to S.P. Madhepura to make enquiry of petitioner's application for Arms Licence.
- (7) That accordingly the S.P. Madhepura vide memo no. 117 dated 01.07.10 directed the S.H.O. of Fulaut Out

(5)

Post to submit a report after enquiry on seven points. He has also directed the S.H.O. to find out an Affidavit of the applicant regarding his criminal antecedent.

A photo stat copy of memo no.-117 dated 01.07.10 is attached herewith and marked as Annexure-3 to this writ petition.

- (8) That on 28.8.11 the S.H.O. of Chausa Out Post submitted report of petitioner's application for Arms Licence of D.B.B.L. gun. After the recommendation of S.H.O. of Chausa O.P., the Dy. S.P. of Udakishunganj, the S.D.O. Udakishunganj and S.P. Madhepura have also recommended the petitioner's application for Arms Licence of D.B.B.L. gun.

A photo stat copy of enquiry report dated 20.8.11 is attached here with and marked as Annexure-4 to this writ petition.

(6)

- (9) That on 31.01.12 the petitioner's father Shri Arun Kumar Singh sent a letter to District Magistrate Madhepura stating there in that he has got an Arms Licence of D.B.B.L. gun being Arms Licence no. 004/1982. He has only one son posted as Panchayat Teacher. He is aged about 65 years, suffering from heart disease. In these circumstances an Arms Licence may be issued in favour of his son, so that he may transfer his Arms in favour of his son.

A photo stat copy of letter dated 31.01.12 is attached here with and marked as Annexure-5 to this writ petition.

- (10) That on 01.03.12 vide letter no. 179 the S.P. Madhepura sent a letter to S.H.O. Fulaut Out Post directing interalia that submit a report on seven points and to find out an Affidavit of the applicant regarding his criminal antecedent.

A photo stat copy of letter

(7)

dated 01.03.12 is attached herewith and marked as Annexure-6 to this writ petition.

- (11) That in regard to the said letter dated 01.03.12 the petitioner sworn an Affidavit on 20.3.12 stating interalia that he has got no criminal antecedent.

A photo stat copy of Affidavit dated 20.3.12 is attached herewith and marked as Annexure-7 to this writ petition.

- (12) That the sub-divisional police officer, Udakishunganj vide Memo No. 524 dated 29.03.12 submitted a report before S.D.O. Udakishunganj on the basis of enquiry report submitted by Inspector of Police, Udakishunganj vide his Memo No. 393 dated 29.03.2012.

A photo stat copy of report dated 29.03.12 is attached herewith and marked as

(8)

Annexure-8 to this writ
petition.

- (13) That the S.D.O. Udakishunganj vide Letter No. 1299-2 dated 09.04.12 sent a letter to S.P. Madhepura stating interalia there in that an enquiry report has been submitted by S.D.P.O. Udakishunganj and according to the enquiry report submitted by S.H.O. of Fulaut out-post, the petitioner's application for obtaining Arms Licence may be considered.

A photo stat copy of Letter dated 09.04.12 is attached herewith and marked as Annexure-9 to this writ petition.

- (14) That inspite of enquiry report submitted by S.D.O., S.D.P.O., Inspector of Police and S.H.O. Fulaut O.P., the District Arms Magistrate as well as District Magistrate is sitting tight over the matter.
- (15) That the District Arms Magistrate vide Letter No. 248 dated 31.01.13 informed the petitioner that his application for Arms Licence has been recommended

(9)

and forwarded by Enquiry Officer and the applicant's application is in process.

A photo stat copy of letter dated 31.01.13 is attached herewith and marked as Annexure-10 to this writ petition.

- (16) That the District Arms Magistrate, Madhepura vide Memo No. 1348 dated 02.07.13 sent a letter to the petitioner by which he has directed the petitioner to submit his explanation with evidence within a month.

A photo stat copy of letter dated 02.07.13 is attached herewith and marked as Annexure-11 to this writ petition.

- (17) That obediently the petitioner submit his explanation on 08.07.13 before District Arms Magistrate, Madhepura.

A photo stat copy of letter dated 08.07.13 is attached

(10)

herewith and marked as
Annexure-12 to this writ
petition.

- (18) That it may be stated and submitted that inspite of enquiry report submitted by concerned officer and explanation report submitted by petitioner, no action for issuing Arms Licence is being taken by the repondent - District Magistrate.
- (19) That the petitioner has got no other alternatie and equally efficacious remedy to redress his grievance except to file the present writ petition.
- (20) That the petitioner has not moved earlier before this Hon'ble Court for the instant prayer.

It is, therefore, prayed that your Lordships be pleased to admit this writ petition, issue Rule NISI, calling upon the respondents to show cause as to why an appropriate writ be not issued in granting relief to

(11)

the petitioner as prayed
above in paragraph No. 1
and in absence of an
appropriate reply by the
respondents the said rule be
made absolute or be pleased
to pass other order or orders
as your Lordships may deem
fit and proper.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Pramendra Kumar aged about 37 years, son of Shri Arun Kumar Singh, resident of Village - Fulaut, P.S. Chausa, District - Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this Petition have been read over and explained to me in Hindi, which I have understood and the statements made in Paragraph nos. 2, 3, 6, 14,, 18, 19 and 20 are true to my knowledge and those made in Paragraph nos. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 and 17 are based upon information, derived from the records of the case, which I believe to be true and rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/ photo copies of their respective originals.

Annexure-1

(13)

OFFICE OF THE DEPARTMENT OF CARDIOLOGY

G.B. Pant Hospital, New Delhi.

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

No. : 423/Carbio.

Date : 29/11/07
29 NOV 2007

O.P.D. Regd. No. 1412286-12/09/2007

C.R. No.-120861-12-/11/2007

This is to certify that Mr. Arun Kumar Singh S/o Late Shri Triveni Prasad Singh R/o Vill + P.O.- Phulaut, Via-Alam Nagar, P.S. Chausa, Distt. Madhepura, Bihar aged 61 yrs. is a bonafide heart patient. The patient was diagnosed as having Bifascicular block (RBBB + LAHB) with frequent syncopal episodes. Permanent pacemaker implantation VVI was done on 27/12/1996. Patient was having features of Pacemaker syndrome. Upgradation of VVI to DDDR was done on 14/11/07.

- Explanted PG Regency SC+2402LSSIC/SN6202-36828 was handed over to the patient on 14/11/07.
- Previous Ventricular Lead Model-1450T 58 cm S/N=064022239 was used.
- A New Atrial lead model-1642T/52cm SN00WG143448 was inserted and DDDR Model no. 5386, SN 0001141776 replaced the previous VVI pacemaker.

Further patient is advised only gentle movements with the arms close to the pulse generator. Avoid stretching, lifting and sudden jerky movements for atleast 3 (three) months.

Follow up in Pacemaker Clinic No. 2262/2007.



[Signature]
29/11/07
Dr. VIJAY TREHAN
Prof. of Cardiology
Dr. VIJAY TREHAN
Professor Cardiology
Department of Cardiology
G.B. Pant Hospital, N. Delhi-2

Prd-152/66/47
28/9/12
20/3/12

19


SCHEDULE III

FORM 'A'

FORM OF APPLICATION FOR AN ARMS LICENCE (SEE RULE 51)

PART - A IDENTITY OF APPLICANT

- 1. Name PRAMENDRA KUMAR
- 2. Father's/husband's name Arun Kumar Singh
- 3. Place of birth (Nativity) - Fulant, P.S. - Chausa, Distt. Madhepura
- 4. Date of birth in christian eve (both in words and figures) 01-03-1977
- 5. Present address - C/o Arun Kumar Singh
(a) Nearest Police Station Fulant O.P., P.S. - Chausa, Distt - Madhepura
- 6. Permanent address - AS above
(a) Nearest Police Station
- 7. Occupation and designation of - Teacher [Govt. School] Office, held if any (together with address)
- 8. Note; (Nearest Police Station means the Police Station under whose Jurisdiction the place given in the address columns.)



Signature/Thumb impression
14/12/12

Chausa (O.P. Phulant)

PART-B OTHER PARTICULARS OF APPLICANT

- 9. Whether the applicant has been-
 - (a) convicted, if so, the offence (s), the sentence and date of sentence. - No
 - (b) ordered to execute a bound under chapter VIII of Code of Criminal procedure, 73 (2 of 1974) for keeping the peace or for good behaviour if so, when and for what period. - NA
 - (c) prohibited under the Arms Act. 1959 or any other law from having the arms/ammunition. - NA
- 10 (a) Whether the applicant's licence was if so, when and by whom and on what account. - No
- (b) Whether the applicant applied for a licence before if so, when to whom and with what result: - No
- (c) Whether any other member of the applicant's family is in possession of an arms if so, particulars thereof. - Yes, applicant's father possesses a DBBL Gun under Lic.No. 04/82 of Chausa P.S.

11. Whether the applicant-

- (a) is a licence or exempte, if so. - No
description of the arms held,
- (b) has a safe place to keep the arms. - Yes
- (c) is a bonafide tourist, if so - No
 - (i) place of the country to which he belongs. X
 - (ii) whether he is prohibited by the laws of his country from having in his possession any arms and ammuntion. X
 - (iii) the probable date of his arrival in India. X

NOTE: A bonafide courist is permitted to bring into India subject to the conditions specified in section 10 and in rule 32, arms and ammuntion in reasonable quantities for his use for purpose only of sport and for no other purpose.

PART-C PARTICULARS OF LICENCE

- 12. Need for licence - For Security of Life and property
- 13. The Form in which the licence is required. - DBBL Gun
- 14. Description of arms/ammuntion
- 15. (a) Area within which applicant wishes to carry the arms - whole Bihar
- (b) Place where arms/ammuntion will be kept/manufactured etc.
- (c) Place/route of import/export/transport
- 16. Other particulars required as in the relevant licence form - x
- 17. Any claim for special consideration - Yes

NOTE: Against column 12 the applicant should clearly mention the purpose (s) for which the licence is required-such as; use, acquisition, possession, carrying, manufacture, sale, transfer, repair, convert, proff-test. import, re-import, export, re-export, transport, self protection, sport, display, distruction of wild animals which do injury to human beings cattle/protection of crops and cattel/ target practice/shooting/temporary possession as bonafide-traveller visiting India etc.

मेरे पिता श्री अरुण कुमार सिंह के नाम से एक DBBL के नास्ती बन्दूक की अनुज्ञापत्र सं. 004/82 प्राप्त है जिस पर दो नामी बन्दूक सं. AB 8200114-धारित हैं। वे 65 वर्ष के बूढ़े एवं हृदयरोग के गंभीर बीमारी होने के कारण अपना यशस्वी मेरे नाम पर स्थानान्तरित करना चाहते हैं।

PART - D

**FOR APPLICANT REQUIRING LICENCE
FOR IMPORT/EXPORT/TRANSPORT/RE-IMPORT AND RE-IMPORT.**

- 18. (a) Whether the previous sanction of the concerned authority required under rule 50, if any, has been obtained, and if so ; - NA
- (b) The evidence in support there of : - NA.

DECLARATION

I hereby declare that the above Particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 1962 and other central enactments or law for the time being in force.

Pranendra Kumar
Signature/~~Thumb impression~~ of applicant
14/12/09

Date
Place: 14.12.2009

Place
Date: - Madhepura

NOTE : (Strike off the entries not relevant)

WARNING : SUPPRESSION OF ANY FACTUAL INFORMATION OR FURNISHING OF ANY FALSE/OR WRONG INFORMATION IN THE APPLICATION FORM IN VIOLATION OF RULE 51 A WILL RENDER THE APPLICANT OF THE ARMS ACT, 1959.

क्रमांक: 117 - गो० आग्नेयास्त्र

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, मधेपुरा
मधेपुरा, दिनांक:- 01/7/10

सेवा में,

ओ०पी०अध्यक्ष,
फ़्लौत ।

प्रसंग:- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा का पत्रांक-152/विधि शाखा, दिनांक-
06.04.10

विषय:- फ़्लौत ओ०पी० से संबंधित आग्नेयास्त्र संबंधी आवेदक का आवेदन
पत्र जाँच के संबंध में ।

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय से संबंधित आवेदक 1-मो० मजहर इमाम, पे०
मो० जेनुल आबेदीन, सा० व पो०-फ़्लौत, थाना-चौसा, ओ०पी० फ़्लौत का एक
एन. पी. बोर रायपेल हेतु 2- प्रमोन्द्र कुमार, पे०-अरुण कुमार सिंह, सा० व पो०-
फ़्लौत, थाना-चौसा, ओ०पी० फ़्लौत का एक डी. बी. एल. गन की अनुज्ञप्ति हेतु
आवेदकों का प्राप्त आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित आवेदन विहित प्रपत्र सहित मूल
मूल में संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

आपको आदेश दिया जाता है कि जिला स्थायी आदेश सं०-04/04
में दिये गये निर्देश के आलोक में सात बिन्दुओं पर कांडिकावार जाँच कर तथा
आवेदक से अपना आपराधिक इतिहास के संबंध में शपथ पत्र प्राप्त कर विहित प्रपत्र
में अनुशांसा एवं थाना मुहर के साथ पुलिस निरीक्षक को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।
पुलिस निरीक्षक अपने अनुशांसा एवं कार्यालय मुहर के साथ संबंधित अनुमंडल पुलिस
पदाधिकारी को भेजें तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुशांसा प्रपत्र में अनुशांसा एवं
मुहर के साथ सीधे अनुमंडल पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

अनुक्रमांक:- यथोपरि ।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ।
=====

प्रतिलिपि:-

1- पुलिस निरीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदा० को सूचनार्थ एवं आ०क्र०

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ।
=====

आग्नेयशस्त्र की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति करने के संबंध में थाना प्रभारी द्वारा किये गये जाँच प्रतिवेदन एवं उनकी अनुशंसा का प्रपत्र

- 1. (क) आवेदक का नाम परमेश्वर गुप्ता
- (ख) पिता का नाम अनवराम गुप्ता
- (ग) उम्र 01/02/1977
- (घ) स्थायी पता 2100 गुप्त (अनवराम गुप्ता) वाराणसी जिला
- (ङ) वर्तमान पता 2100 गुप्त (अनवराम गुप्ता) वाराणसी जिला

2. आवेदक का पेशा (अंकित करें पूर्ण विवरण के साथ) श्रीलक्ष्मी (श्रीलक्ष्मी)

- 1. आवेदक एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कहाँ-कहाँ रहे हैं वाराणसी एवं वाराणसी परत पर (पूर्ण पते एवं अवधि के साथ) नगर 2
- 2. आवेदक का स्वभाव (गर्म मिजाज को है/या नहीं) :- नहीं
- 3. आवेदक का नक्सलपंथियों/उग्रवादी संगठन से सम्पर्क है या नहीं :- नहीं
- 4. आवेदक किसी अन्य अपराध में अभियुक्त है या नहीं :- नहीं
- 5. (ए) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/109/111 एवं 113 के अंतर्गत नहीं आवेदक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है या नहीं-
(बी) कोई अन्य मामलों जिसमें आवेदक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो- नहीं
- 6. सन्तर्ग संघर्ष एवं व्यक्तिगत तनाव की पृष्ठ भूमि में आवेदक किसी हिंसात्मक घटना से संबंधित नहीं है- नहीं
- 7. आवेदक का सभी स्रोतों से वार्षिक आय- लगभग 1000 रूपये (अद्यतन आयकर रिटर्न के साथ)
- 8. आवेदक की शारीरिक स्थिति (आवेदक विकलांग है या नहीं) सामान्य
- 9. आवेदक को अनुज्ञप्ति देने से लोक शांति एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं- नहीं
- 10. आवेदक को क्या विशेष सुरक्षा मय है जिसके कारण इन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति चाहिए- नहीं
(क) क्या उग्रवादियों के हिट लिस्ट में हैं :- नहीं
(ख) क्या फण्टामेंटल लिस्ट संगठन में हिट लिस्ट में हैं- नहीं
(ग) क्या कुख्यात अपराधी के हिट लिस्ट में हैं- नहीं
(घ) क्या इनके साथ कभी कोई अपराधी घटना घटी है- नहीं
(अगर हाँ तो पूर्ण विवरण दें)
- 11. शस्त्र जिसकी अनुज्ञप्ति के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है- 0 B.B L gun
- 12. क्या आवेदक के नाम से पूर्व से किसी शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत है-
- 13. क्या आवेदक के परिवार में पूर्व से शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित है- नहीं
- 14. आवेदक द्वारा धारित पूर्व शस्त्र की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है- नहीं
कोई अन्य कारण-
- 15. थाना प्रभारी की अनुशंसा :- एक ही वारंटा परमाणु अनुज्ञप्ति जारी करने पर
मैं, अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट हूँ। संतुष्ट नहीं हूँ। आवेदक के पास शस्त्र की अनुज्ञप्ति धारित करने के लिए यथोचित कारण (.....) है। आवेदक को एक मान्य एन० पी० बोर की अनुज्ञप्ति निर्गत की जा सकती है / नहीं की जा सकती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुज्ञप्ति प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा शस्त्र को दुरुपयोग करने की संभावना नहीं है।

थाना प्रभारी का नाम सुनील कुमार
 एवं हस्ताक्षर S.K. 0
 मुहर के साथ सुनील कुमार

पुलिस विभाग

POINTS

- 1 Whether the applicant has been convicted by any offence and if so the details of offence and period of sentence undergone by him :- No
- 2 Whether the applicant was ordered to execute a bond U/S/107/100/110 C. R. P. C :- No
- 3 Whether the applicant has been prohibited under the arms act or any other from having a free arm. No
- 4 Whether any member of the applicant's family is in possession of any arms licence if so, particulars thereof Yes father Arun Kumar Singh Gun No D: B B 2 HO AB 810114 LIC No 4/62 of chausa PS
- 5 Whether the applicant is a man of means? if so, the details of moveable and immovable properties named by him :- Yes
- 6 Whether the applicant is of unsound mind :- No
- 7 Whether there is anything against the character and antecedents of the applicants on the police record :- No
- 8 Whether the applicant has got absolute necessity of having a fire arms :- Yes
- 9 How many licences for arms are in the village or mohalla of the applicant :- one
- 10 If the applicant is ready to help the authorities by serving as V. V. P. and maintains law and order. if and when required :- Yes
- 11 In case of applicant of for a fire arms licence on grounds of carrying cash from one place to another, specific portion should be made about the necessity of a fire arms on this ground in the enquiry report :- for the safety of his life and property.
- 12 Your report recommending petition should contain clear and definite recommendations giving necessary reason instead of writing on objection' recommended :- forwarded and recommended
for the safety of his life and property.
for the safety of his life and property.
for the safety of his life and property.

for the safety of his life and property.
for the safety of his life and property.
for the safety of his life and property.

जैलम जिला पुलिस अधीकार

RECOMMENDATION FOR ARMS LICENCE

1 Recommendation of S.I. :- *एम. टी. को गो गो एग कराय अत नुप्र प्रती निर्दिष्ट*
मे नुप्र प्रती अत अत अत
एम. टी. - 9 *एम. टी. 9*
20/3/12 *20/8/11*
सुनीत जोशी *सुनीत जोशी*

Recommendation of C.I. :- *Forwarded & recommended*
Forwarded & recommended
29.3.12 *25.8.11*
श्रीमंत गोविंद न *श्रीमंत गोविंद न*

3 Recommendation of Dy. S.P. :- *अग्रसारित एवं अनुशंसित*
अग्रसारित एवं अनुशंसित
अनुमण्डल अधीक्षक (मधपुरा)
अनुमण्डल अधीक्षक (मधपुरा)

4 Recommendation of subdivisinal officer :- *Forwarded*
अग्रसारित एवं अनुशंसित
अनुमण्डल अधीक्षक (मधपुरा)
अनुमण्डल अधीक्षक (मधपुरा)
अनुमण्डल अधीक्षक (मधपुरा)

5 Recommendation of S.P. :- *Forwarded*
अग्रसारित एवं अनुशंसित
अनुमण्डल अधीक्षक (मधपुरा)
अनुमण्डल अधीक्षक (मधपुरा)

6 Final order of district Magistrate :- *अनुमण्डल अधीक्षक (मधपुरा)*
अनुमण्डल अधीक्षक (मधपुरा)

हरुण कुमार सिंह

॥ जय श्री राधे ॥

फोन : 06479-275043

मोबाईल : 09431893176

9472181976

ग्राम+पोस्ट - फुलौत, भाया - आलमनगर

थाना - चौसा, जिला - मधेपुरा (बिहार)

पिनकोड - 852219

31 JAN 2012

पत्रांक संख्या... 02

सेवा में, जिला पदाधिकारी दिनांक... मधेपुरा, मधेपुरा

विषय :- प्रेमन्दा कुमार पिता अरुण कुमार सिंह का एक दो नाती बन्दुक की अनुज्ञापि आवेदन ससमय में निष्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय सादर विनम्र निवेदन यह है कि मैं अरुण कुमार सिंह ग्राम फुलौत - थाना + पोस्ट - चौसा जिला - मधेपुरा - चौसा थाना नं० 004/1982 से एक दोनाली AB 8200114 by I. OF Product बन्दुक का अनुज्ञापिपारी हूँ। जिला सूचना सं.- 16-23/2003 आदि के अन्तर्गत से यह बन्दु की पुष्टि होगी। उल्लेखनीय है कि मुझे एक मात्र लड़का प्रेमन्दा कुमार मु जो सहायक शिक्षक पद पर कार्यरत है तथा उन्होंने दिनांक-14/12/09 को एक दोनाली बन्दुक की अनुज्ञापि हेतु आवेदन भी माता के समक्ष दाख किया है। जो किस स्थिति में है अनिभिन्न है।

ज्ञातव्य हो कि मैं हृदयरोग की गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ तथा वर्तमान समय मेरा उम्र-60 वर्ष करीबन है। मुझे उच्च चम्बर पेस मेकर - G.B. PANT. HOSPITAL, NEW DELHI के हृदयांग के डाक्टरों द्वारा Planted किया गया है। अब से मैं कभी संयम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।

एतद प्रसंग में स्मृति करना है कि मैं अपने नाम का अनुज्ञापि आर्म्स दोनाली बन्दुक अपने पुत्र के नाम से निहित मात्र अनुज्ञापि के पश्चात् करने हेतु निवेदन करना होता था मैं पुत्र के नाम से श्री माता द्वारा नही मात्र अनुज्ञापि का आदेश दिया जाता है एवं उसके पश्चात् बन्दु दोनाली बन्दुक मात्र अनुज्ञापि पर ध्यानात्मक होने की स्थिति में मैं अपने नाम का यह मात्र अनुज्ञापि को रद्द किये जाने की मांगना करूंगा। चूंकि मुझे एक लड़का मात्र है एवं एक पुत्री भाती सुधा है। शरीर कोई वैधानिक जड़चन नहीं है।

अतः सादर अनुरोध है कि मेरे आवेदन के आधार पर विधोक्त मांगना को स्वीकार करके हुए व्योचिंत का कोई काने की अधीन कृपा किया जाए श्री माता का विवकाशी अनुलग्नक :- एक प्रति ZERD X copy

प्रतिलिपि :- श्री ०० अद्वय फुलौत के अरुण कुमार सिंह 2012
AREN KUMAR SINGH
AT+PO PHULAUT
VIA SHAH ALAM NAGAR,
MADHUPURA, BIHAR

Annexure-5 (Typed Copy)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी महोदय,

मधेपुरा ।

विषय- प्रमेन्द्र कुमार, पिता-अरूण कुमार सिंह का एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति आवेदन ससमय में निष्पादन किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

सादर विनम्र निवेदन यह है कि मैं अरूण कुमार सिंह ग्राम-फुलौत, थाना-प्रखण्ड-अंचल-चौसा, जिला-मधेपुरा चौसा, थाना नं०-004/1982 से एक दोनाली ए०बी० 8200114 by I.O.F. Product बन्दूक का अनुज्ञप्तिधारी हूँ । जिला संचिका सं०-16-23/2003 आदि के अवलोकन से यह तथ्यों की पुष्टि होगा ।

उल्लेखनीय है कि मुझे एक मात्र लड़का प्रमेन्द्र कुमार है जो सहायक शिक्षक पद पर कार्यरत है तथा उन्होंने दिनांक 14.12.09 को एक दोनाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन श्रीमान् के समक्ष दायर किया है जो किस स्थिति में है अनभिज्ञ हूँ ।

ज्ञातव्य हो कि मैं हृदय रोग की गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ तथा वर्तमान समय मेरा उम्र 65 वर्ष के करीबन है। मुझे डबल चेम्बर पेसमेकर G.B. PANT. HOSPITAL, NEW DELHI के हृदय रोग के डाक्टरों द्वारा Planted किया गया है। तब से मैं काफी संयम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ ।

एतद् प्रसंग में संसूचित करना है कि मैं अपने नाम का अनुज्ञप्ति आर्म्स दोनाली बन्दूक अपने पुत्र के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति के पश्चात् करने हेतु निवेदन करता हूँ तथा मेरे पुत्र के नाम से श्रीमान् द्वारा नयी शस्त्र अनुज्ञप्ति का आदेश दिया जाता है एवं उसके पश्चात् यह दोनाली बन्दूक शस्त्र

(2)

अनुज्ञप्ति पर स्थानान्तरण होने की स्थिति में मैं अपने नाम का यह शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने की प्रार्थना करूँगा । चूँकि मुझे एक लड़का मात्र है एवं एक पुत्री शादी सुधा है। इसलिए कोई वैधानिक अड़चन नहीं है।

अतः सादर अनुरोध है कि मेरे आवेदन के आधार पर विषयोक्त प्रार्थना को स्वीकार करते हुए न्यायोचित कार्रवाई करने की असीम कृपा किया जाय ।

श्रीमान् का विश्वासी,

ह0/- अरूण कुमार सिंह

31.1.2012

अनुलग्नक :-

एक प्रति फोटो कॉपी

प्रतिलिपि :- ओ0पी0 अध्यक्ष फुलौत को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित ।

ह0/- अरूण कुमार सिंह

31.1.12

पत्रांक:- 179 /गो0(आग्नेयास्त्र)
 पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, मधेपुरा ।
 मधेपुरा, दिनांक:- 1/3 /2012

सेवा में,

ओ0पी0 अध्यक्ष,
 फुलौत।

प्रसंग:- जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा का पत्रांक-615,620/गो0 दिनांक -28.02.
 12

विषय:- निम्नलिखित आवेदको का शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्रों का जाँच करने के
 संबंध में ।


उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय से संबंधित निम्नलिखित आवेदको का आग्नेयास्त्र
 आवेदन पत्र विहित प्रपत्र सहित मूल में संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

आदेश दिया जाता है कि जिला स्थायी आदेश सं0-04/04 में दिये गये निर्देश
 के आलोक में सात विन्दुओं पर कंडिकावार जाँच कर तथा आवेदक से अपना अपराधिक
 इतिहास के संबंध में शपथ पत्र प्राप्त कर विहित प्रपत्र में मंतव्य एवं कार्यालय मुहर के साथ
 पुलिस निरीक्षक को भेजना सुनिश्चित करेंगे, पुलिस निरीक्षक अपने मंतव्य एवं कार्यालय मुहर
 के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भेजेगें तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुशंसा
 प्रपत्र में मंतव्य एवं मुहर के साथ सीधे अनुमंडल पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।
 जो निम्नप्रकार है:-

1. श्री मनोज कुमार साहु, पे0-स्व0 काली प्र0 साहु, सा0-फुलौत, थाना-फुलौत(चौसा),
 जिला-मधेपुरा ।
2. श्री प्रमेन्द्र कुमार, पे0-श्री अरुण कुमार सिंह, सा0-फुलौत, थाना-फुलौत
 (चौसा), जिला-मधेपुरा ।

अनुलग्नक:- यथोपरि ।


 पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ।



रामपुर

नोटरी पब्लिक,
उदाकिमनगंज ।

NO. 419

शपथ पत्र
=====

मैं, प्रमोद कुमार पिता-श्री अरुण कुमार सिंह ता०/पो०/
ओ० पी०- फूलौत, थाना- चौरा, जिला-मधेपुरा धर्म पूर्वक
ब्यान करता हूँ कि:-

- 01. यह कि, मैं उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूँ।
- 02. यह कि, मेरे पिताजी के नाम से वर्तमान समय में डी० बी० बी०
एल० गन बन्दुक की अनुज्ञप्ति है जिसका अनुज्ञप्ति संख्या-
004/1982 है जिनका बन्दुक संख्या २० बी०- 8200/14 धारित है।
- 03. यह कि, मेरे पिताजी श्री अरुण कुमार सिंह की आयु करीब
65 वर्ष से अधिक हो गई है वो वृद्ध एवं हृदयरोग की गंभीर बीमारी
से पीड़ित है वो ज्ञालिए मेरे पिताजी के नाम वाला उक्त बन्दुक का
अनुज्ञप्ति मेरे नाम से करना लाजमी है।
- 04. यह कि, मेरे उपर आजतक न कोई आपराधिक मामला हुआ है
और न कित्ती भी न्यायालय में मेरे उपर कोई भी आपराधिक मामला
लंबित हों है।
- 05. यह कि, इस शपथ पत्र में वर्णित सारी बातें सत्य वो सही है
जिसो मैं पद वो पदवाकर सोच वो समझ कर अपना हस्ताक्षर बना
दिये ।



Pranendra Kumar

शपथकर्ता

20/03/12

नाम
24/82

नोटरी
रज्जु कुमार
उदाकिमनगंज
मधेपुरा

मैं शपथकर्ता के हस्ताक्षर को पहचानता हूँ जिनहो
मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर/निशान बना दिया।

Pranendra Yadav
अधिवक्ता

अधिवक्ता

20/03/2012

20-03-12



2/21
22/09/12

जापांक 524/12

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय
उदाकिशुनगंज, दिनांक 29.3.12

सेवा में

अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज

प्रसंग - पुलिस निरीक्षक, उदाकिशुनगंज के कार्यालय जापांक 293/12 दिनांक 29.3.12

विषय - आवेदक प्रमोद कुमार के अरुण कुमार साठे पुत्र थाना चौसा (कुशीन)

जिला- मधेपुरा का एक D.B.L. टाटा की अनुज्ञप्ति की स्वकृति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि आवेदक प्रमोद कुमार के अरुण कुमार साठे पुत्र साठे थाना चौसा (कुशीन) जिला- मधेपुरा का स्थयी आदेश संख्या 04/04 के आलोक में पुलिस निरीक्षक उदाकिशुनगंज अंचल द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर निम्न प्रकार है -

1. क्या आवेदक पुलिस को मदद करते हैं --- हाँ।
2. क्या आवेदक रंगदार प्रवृत्ति के व्यक्ति है। --- नहीं।
3. क्या आवेदक के पडरोस में कोई अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति है- हाँ।
4. क्या आवेदक समाज के एस0सी0 / एस0टी0 व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं- अच्छा।
5. क्या आवेदक अपराधकर्मी को संरक्षण देते हैं- नहीं।
6. क्या आवेदक के विरुध कोई मामला दर्ज हुआ है- नहीं।
7. आवेदक का वार्षिक आय - रु 120000 मात्र।

अनुलग्नक - यथोपरि

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
उदाकिशुनगंज

अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज।

पत्रांक-1299-2 /

प्रक.

अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज।

सं. सं.

पुलिस अधीक्षक,
मधेपुरा।

उदाकिशुनगंज, दिनांक-09 अप्रैल, 2012

विषय- प्रमेन्द्र कुमार, पिता-अरुण कुमार सिंह, सा0-फुलौत, थाना-चौसा, जिला-मधेपुरा के नाम एक डी0बी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति संबंधी आग्नेयास्त्र पर पुनः जाँच कर प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।


प्रसंग- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज का पत्रांक-524/12, दिनांक-29.03.2012
महत्त्व,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त प्रमेन्द्र कुमार, पिता-अरुण कुमार सिंह, सा0-फुलौत, थाना-चौसा, जिला-मधेपुरा के नाम एक डी0बी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति संबंधी आग्नेयास्त्र आवेदन पत्र, जो पुनः जाँच कर प्रतिवेदन हेतु प्राप्त है। थानाध्यक्ष, फुलौत ओ0पी0 के प्रतिवेदनानुसार आवेदक के पिता-श्री अरुण कुमार सिंह की उम्र 65 वर्ष की है और वे हृदय रोग की बीमारी से ग्रसित हैं जिनके नाम से दो नाली बंदूक को अनुज्ञप्ति संख्या-04/82 पर दो नाली बंदूक धारित है, जिसका हस्तांतरण वे अपने पुत्र श्री प्रमेन्द्र कुमार के नाम करना चाहते हैं, फलस्वरूप आवेदक का आग्नेयास्त्र आवेदन सहानुभूति पूर्वक विचारणीय है। अतः आग्नेयास्त्र आवेदन पत्र को विहित प्रपत्र में मंतव्य अंकित करते हुए अनुज्ञप्ति के साथ मूल में संलग्न कर भवदीय अवलोकनार्थ अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


आग्नेयास्त्र आवेदन पत्र मूल में संलग्न

विश्वासभाजन,



अनुमंडल पदाधिकारी,

उदाकिशुनगंज।



9/2/13

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)
पत्रांक.....248...../गो0

प्रेषक,

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

सेवा में,

जिला लोक सूचना पदाधिकारी,
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक...31-1-13...

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक-02 /लो0सु0को0, दिनांक-16-01-2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि श्री परमेन्द्र कुमार, पिता-श्री अरुण कुमार सिंह, ग्राम-फुलौत, प्रखंड-चौसा, जिला-मधेपुरा द्वारा एक दो नाली बंदूक की अनुज्ञप्ति हेतु मूल आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-285/गो0 (अग्नेयाशस्त्र), दिनांक-17-04-2012 से प्राप्त हुआ है, जिसके विहित प्रपत्र में सभी संबंधित निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है। संबंधित संचिका में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

सूचनार्थ प्रेषित।

413
2-2-2013

विश्वासभाजन

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....1348...../गो0,

समाहरणालय, मधेपुरा (शस्त्र शाखा)
दिनांक.....21.7.1.....2013


प्रेषित,

श्री प्रमेन्द्र कुमार,
पिता-श्री अरुण कुमार सिंह,
सा0-फुलौत, थाना-चौसा (फुलौत)
जिला-मधेपुरा।

विषय : स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा एक दो नाली बंदूक की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया था, जो सभी निरीक्षी पदाधिकारी से मंतव्य के साथ प्राप्त हुआ है। आप स्पष्ट करें कि आपके उपर किस प्रकार का खतरा है। क्या इस संबंध में कभी आपके द्वारा सनहा दर्ज कराया गया है ?

अतः उपरोक्त पृच्छ के आलोक में आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित एक पक्ष के अन्दर जिला दण्डाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ समर्पित करें, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।


जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में ,

श्रीमान्, जिला शस्त्र दण्डाधिकारी महोदय ,

मधेमुरा ।

विषय एवं प्रसंग :- श्रीमान्, के ज्ञापक 1348 / गो0 दिनांक 02.07.2013 ई0 के आलोक में अपेक्षित स्पष्टीकरण से सम्बन्धित ।

महाशय ,

प्रसंगाधीन विषयक सम्बन्ध में निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि मैं प्रेमेश्वर कुमार पिता श्री अरुण कुमार सिंह , साकिन - फुलौत , थाना - चौसा (फुलौत) जिला - मधेमुरा का निवासी हूँ ।

समाहरणालय , मधेमुरा § शस्त्र शाखा § द्वारा मेरे विरुद्ध उपरोक्त ज्ञापक 1348 /गो0 दिनांक 02.07.2013 के माध्यम से निम्नांकित दो प्रसंगों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु मुझे आदेशित किया गया है -

§i§ मुझे किस प्रकार का खतरा है ?

§ii§ उपरोक्त खतरा के सम्बन्ध में मेरे पास क्या साक्ष्य है ?

उपरोक्त प्रसंगों के सम्बन्ध में सर्वप्रथम श्रीमान्, का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना है कि एतद् सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक ,मधेमुरा का ज्ञापक 285 गो0, आग्नेयाशस्त्र दिनांक 17.04.012 एवं अनुमण्डल कार्यालय उदाकिशुनगंज का पत्रांक 1299 -2 दिनांक 09.04.012 का पुनः अवलोकन किया जाना अपेक्षित एवं समीचीन होगा । वस्तुतः उपरोक्त दोनों ही प्रसंगों के सन्दर्भ में उपरोक्त प्रतिवेदनो से स्पष्टीकरण सुनिश्चित होता है ।

एतद् प्रसंग में यहाँ यह उल्लेख किया जाना कदापि संदर्भ से इतर नहीं माना जाना चाहिए कि यद्यपि मेरा आवेदन दोनाली बन्दूक की अनुज्ञापित के लिए निश्चित तौर पर है किन्तु नए आग्नेयाशस्त्र कृय से इस अनुज्ञापित का ताल्लूक नहीं है क्योंकि मेरे पिता श्री अरुण कुमार सिंह जिनकी आयु वर्तमान में 68 वर्ष की है , के नाम से एवं एक दो नाली बन्दूक सं0 -ए.बी. 8200114 चौसा थाना 004/1982 बनि. वार्डगाँव ओ.एफ की शस्त्र अनुज्ञापित पूर्व से प्राप्त है । मेरे पिता की वृद्धावस्था एवं वृद्धय शरीरोग से सम्बन्धित बीमारी के कारण अपने नाम धारित उपरोक्त दोनाली बन्दूक का हस्तांतरण मेरे नाम करना चाहते हैं जिसके लिए मुझे अपने नाम अनुज्ञापित की विशेष आवश्यकता है ।

- 8 JUL 2013

2.

उपर वर्णित प्रसंगों के सन्दर्भ में ग्राम - फुलौत की भौगोलिक स्थिति की ओर श्रीमान्, का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह भी निवेदन करना है कि ग्राम - फुलौत लगभग एक दिवारा क्षेत्र की तरह है जो खण्डिया , नवगछिया , भागलपुर , पूर्णियाँ एवं मधेपुरा की सीमाक्षेत्र के बीच अवस्थित है इस क्षेत्र का सम्बन्ध अनेक जिला से रहने के कारण यह क्षेत्र अपराधिकारियों के जमावाड़े के रूप में भी जाना - जाता है । मैं एक प्रमुख शिक्षक हूँ तथा पुस्तकें कास्तकारी व्यवसाय भी है , अतः अपने वो परिवार के जानोमाल की एवं सुरक्षा के लिए पूर्व में मेरे पिता के नाम शस्त्र अनुज्ञापित स्वीकृत किया गया था तथा कमीवेश आज की परिस्थितियों में भी क्षेत्र के हालात में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हो सका है बल्कि जटिलताओं में रोज व रोज कुछ झजाफा ही होता है ।

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि मेरे नाम से शस्त्र की नयी अनुज्ञापि वस्तुतः एक औपचारिकता होगा क्योंकि शस्त्र तो बहुरि-व वही पुराना है जिसकी पूर्व से अनुज्ञापित मेरे पिता के नाम से कायम है तथा उपरोक्त शस्त्र अपने बुढ़ापे एवं बीमारी के कारण वे मेरे पक्ष में हस्तांतरित करना चाहते हैं ।

ज्ञातव्य हो कि मैं अपने पिता का एक मात्र पुत्र एवं विधिक उत्तराधिकारी हूँ ।

यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि , पूर्व में श्री रामानन्द सिंह पिता हरिहर प्रसाद सिंह एवं शिव कुमार सिंह पिता कार्तिक प्रसाद सिंह , दोनों ग्राम -फुलौत के द्वारा अपनी - अपनी बुढ़ावस्था एवं बीमारी को लेकर अपने - अपने शस्त्र का हस्तांतरण अपने - अपने पुत्रों के पक्ष में स्वीकार किया गया जिस लिए उनदोनों पुत्रों के पक्ष में अलग - अलग अनुज्ञापित की स्वीकृति तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी ^{मधेपुरा} द्वारा प्रदान की गई; जिसका अनुज्ञापित कृष्णानन्द सिंह के नाम निर्गत शस्त्र अनुज्ञापित चौला थाना 004/96 तथा राजेश कुमार सिंह के नाम निर्गत शस्त्र अनुज्ञापित सं० चौला थाना 02 /1988 है ।

अतः श्रीमान्, से विन्म निवेदन है कि सम्पत्ति आवश्यक प्रतियेदनो के आलोक में तथा उपर उल्लिखित वास्तविक तथ्यों के मददेनजर मेरे पक्ष में शस्त्र अनुज्ञापित की स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किए

3.

जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा दशाधी जाय , जितके लिए मैं श्रीमान् का आभारी रहूँगा ।

प्रतिनिधि
श्री मान सम्प्रति जिला
दायाधिकारी - मधेपुरा को
आवश्यक कार्रवाई हेतु (समाप्त)

निवेदक
Pranendra Kumar
817/13
॥ प्रेमेश कुमार ॥ 08 JUL 2013
पिता - श्री अरुण कुमार सिंह
साकिन - फुलौत , थाना - चौसा ॥ फुलौत ॥
जिला - मधेपुरा ।